

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2020

1. दिनांक 23.09.20 को वादी उ०नि० श्री विवेक कुमार राय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामचन्द्र निषाद पुत्र बृज लाल निषाद नि० हाजीपुर दराबगंज थाना कैण्ट अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 452/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 23.09.20 को वादी श्री मलखान सिंह लेखपाल क्षेत्र माझा बरेहटा तहसील सदर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अवधेश कुमार सिंह नि० सरयू नगर कालोनी मीरापुर आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी व वादी के सहायको के सरकारी कार्य में बाधा डालना तथा गाली देते हुए हमलावर होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 693/20 धारा 332, 353, 352, 504 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 23.09.20 को वादी उ०नि० श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मृत्युंजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र शिव नारायण सिंह नि० कच्चा घाट नयाघाट थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 1 किग्रा गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 694/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 23.09.20 को वादी श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला थानाध्यक्ष तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामचन्द्र वर्मा पुत्र अभयराज वर्मा नि० खेमीपुर निधियावां थाना तारून अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 2.300 किग्रा गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 384/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 23.09.20 को वादी श्री विकास कुमार आर्या अवर अभियंता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव करन पुत्र राम अधीन नि० सहनी थाना को०रूदौली अयोध्या आदि 02 नफर विद्युत विच्छेदन के उपरान्त भी अभि०गण द्वारा पुनः कनेक्शन जोड़ कर विद्युत का उपभोग करना। जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 374/20 व 375/20 धारा 138बी विद्युत अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 23.09.20 को वादी श्री रमेश चन्द्र पुत्र जय प्रकाश यादव नि० सड़वा थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामराज पुत्र राम संजीवन नि० सड़वा थाना मवई अयोध्या आदि 03 नफर जमीनी विवाद को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए हमलावर होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 423/20 धारा 352, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।